न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 11/2018 एफएसएस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री नितिन खण्डेलवाल पुत्र श्री गोपाल दास गुप्ता मैसर्स नितिन ट्रेडर्स, गढ रोड मण्डावर, जिला दौसा।
2. श्रीमति सीता देवी गुप्ता पत्नि गोपाल दास गुप्ता मैसर्स नितिन ट्रेडर्स, गढ रोड मण्डावर, जिला दौसा मालिक।
3. श्री मुनेन्द्र सिंह मैसस करनानी सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गोठडा, पो0 हंसामहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. मैसर्स करनानी सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गोठडा, पो हंसामहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

—अभियुक्तगण —

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री गोपाल दास गुप्ता प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त 1 व 2 उपस्थित।
: श्री संत कुमार प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 14.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 5.8.2017 को प्रातः 02.30 बजे मैसर्स नितिन ट्रेडर्स गढ रोड मण्डावर जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री नितिन खण्डेलवाल पुत्र श्री गोपाल दास गुप्ता मैसर्स नितिन ट्रेडर्स, गढ रोड मण्डावर, जिला दौसा विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में 10 गत्ते के कार्टून X 12 बोतल X 1 लीटर पैकिंग में पैक बोतल सरसो तेल (चैतन्य गोल्ड) गत्ते के काटूर्न में आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से (4 बोतल X 1 लीटर) सरसों तेल (चैतन्य

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला ... दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गोल्ड) नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 319 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा सरसों तेल (चैतन्य गोल्ड) की बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड व सीरियल नम्बर ए.जी.-1715 गोंद से उपर से नीचे चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत धागे से बांधकर बोतलो को चार-चार जगह से सील चपडी उपर नीचे व दोनो साइडो से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं व गवाहान ने हस्ताक्षर कर चारो सीलबंद बोतलों को अपने कब्जे में किया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकार उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट तथा फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 8.8.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये। जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (चैतन्य गोल्ड) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1819/एक्ट/2017/1891 दिनांक 23.8.2018 डी.ओ. एवं सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (चैतन्य गोल्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होंना पाया गया हैं। जो एफएसएसए नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 1, 2 द्वारा निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (चैतन्य गोल्ड) हमारे द्वारा मूल ही फर्म करनानी सोलवेक्स प्रा0 लि0 से खरीदा गया है। जिसका बिल प्रकरण में प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगायत 4 द्वारा निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा निर्मित सरसो तेल (चैतन्य गोल्ड) में हमे FSSA ACT 2006 की जानकारी

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कम होने की वजह से **Best before 9 months from the month of packaging** लिखा हुआ था। जिसका हमारे द्वारा सुधार कर लिया गया है। अतः निवेदन है कि प्रकरण में रियायत बरतते हुए हमे प्रथम बार की गई गलती के लिये माफी देने का श्रम करे।

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1819/एक्ट/2017/1891 दिनांक 23.8.2018 के अनुसार उक्त खाद्य उत्पाद सरसो तेल (चैतन्य गोल्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया हैं। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 व 4 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (चैतन्य गोल्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री मुनेन्द्र सिंह मैसस करनानी सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गोठडा, पो0 हंसामहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 मैसर्स करनानी सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गोठडा, पो हंसामहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर पर 5000/-(अक्षरे पांच हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 14.3..2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः-28.3.2018

कमांक/8656-8661

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को भेजकर लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को समय-समय पर खाद्य पदार्थो की जांच हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
3. श्री नितिन खण्डेलवाल पुत्र श्री गोपाल दास गुप्ता मैसर्स नितिन ट्रेडर्स, गढ रोड मण्डावर, जिला दौसा।
4. श्रीमति सीता देवी गुप्ता पत्नि गोपाल दास गुप्ता मैसर्स नितिन ट्रेडर्स, गढ रोड मण्डावर, जिला दौसा मालिक।
5. श्री मुनेन्द्र सिंह मैसस करनानी सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गोठडा, पो0 हंसामहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. मैसर्स करनानी सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गोठडा, पो हंसामहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official